Ch. Charan Singh University, Meerut

(Formerly Meerut University)

Book No. 99/ 001[illegible]

STATEMENT OF MARKS OF B. Sc. PART - III (T.D.C.) EXAMINATION YEAR ....99....

Sl. No. **001276**

Roll No. : B ....378077....

Enrolment No. : M 9632406

Name : Brijesh Kumar Upadhayay

Father's Initial : U S U

College C. D. College Ranipur Harridwar

Name of Subjects	Code Number	Max. Marks Theory	Max. Marks Practical	Marks Obtained						Result
				Theory Papers				Practical	Grand Total	
				I	II	III	Total			
Botany	301/302/903P	100	50	37	29	—	66	37	103	
Chemistry	306/307/308/911P	100	50	17	16	11	44	40	84	
Defence Studies	303/304/906P	100	50							
Economics	345/346	150	–							
Geography	336/338/339/951P	100	50							
Geology	311/312/919P	100	50							
Mathematics	326/327/328	150	–							
Physics	316/317/927P	100	50							
Statistics	331/332/943P	100	50							
Zoology	321/322/935P	100	50	30	30	—	60	31	91	
Opti Instrumentation	351/352/957P	100	50							
Industrial Chemistry	353/354/355/961P	100	50							
Food Sc. & Q. Control	356/357/358/964P	100	50							
										IInd
Marks of Part III Exam.		450							278	
Marks of Part I & II Exam.		1000							566	
Total Marks of Part I & II & III		1450							844	

Signature of Writer .... Signature of Checker : ....

Dated : 15 JUN 1999

for Registrar

परीक्षाफल से सम्बन्धित निर्धारित नियमों का विवरण

(क) उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक मुख्य विषयों, फाउन्डेशन कोर्स तथा क्वालीफाइंग कोर्स की लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। फाउन्डेशन कोर्स के प्राप्तांक कुल प्राप्तांकों में जोड़े जायेंगे जबकि क्वालीफाइंग कोर्स के प्राप्तांक नहीं जोड़े जायेंगे। परन्तु क्वालीफाइंग कोर्स में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) यदि परीक्षार्थी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग-अलग (जहाँ भी हो) उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण न हो तो वह उस भाग/वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जायेगा।

(ग) पुनः परीक्षा के लिये अर्ह वे परीक्षार्थी होंगे जो उस भाग/वर्ष की परीक्षा के एक विषय में 33 प्रतिशत से कम और अन्य सभी विषयों में 33 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। वह 33 प्रतिशत से कम अंक वाले मात्र विषय के एक प्रश्न-पत्र अथवा सभी प्रश्न पत्रों में पुनः परीक्षा दे सकता है। पुनः परीक्षा के लिये अर्ह परीक्षार्थी स्नातक उपाधि के अगले भाग/वर्ष में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पाने का भी पात्र होगा।

(घ) कृपांक 5 अंकों तक दो ही विषय में दिया जा सकेगा, यदि किसी भाग/वर्ष की परीक्षा में सम्पूर्ण योग न्यूनतम निर्धारित योग से 3 अंक तक कम है। एकल विषय (संस्थागत) परीक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थी को मात्र 3 कृपांक तक ही दिये जा सकेंगे। श्रेणी सुधार के लिये अधिकतम 3 कृपांक दिये जायेंगे। कृपांक कुल प्राप्तांको में नहीं जोड़े जायेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी के उस वर्ष की परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का योग निर्धारित न्यूनतम योग से 3 अंक तक कम हो तो उसे 3 कृपांक तक दिये जा सकते हैं।

(च) श्रेणी का निर्धारण अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी 60% द्वितीय श्रेणी 45% तृतीय श्रेणी 33% होगा।

स्नातक उपाधि के अन्तिम वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र/पुनः परीक्षा के अर्ह छात्र परास्नातक परीक्षा के लिए प्रवेशार्थ अर्ह नहीं होंगे।

नोटः अभ्यर्थी/छात्र को निर्गत हुई अंक तालिका में दर्शित अंक अथवा परीक्षाफल में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के टेबुलेशन चार्ट में अंकित परीक्षाफल/अंक ही मान्य होंगे।